राज्य अभियोजन अधिकारी सेवा संघ उ0प्र0

(उ0प्र0 शासन के शा0सं0 924/आठ–9–31/179/78 दि. 27.2.82 द्वारा मान्यता प्राप्त)
कमरा नं0 15, अभियोजन कार्यालय, कलेक्ट्रेट, लखनऊ

अध्यक्ष
अवधेश कुमार सिंह
9454456321

महासचिव
विजय कुमार
9454456462

उपाध्यक्ष
विक्रम यादव (लखनऊ जोन)
9454456349
विजय सिंह (वाराणसी जोन)
राकेश कुमार मौर्या (बरेली जोन)
अशोक कुमार त्रिपाठी (आगरा जोन)

कोषाध्यक्ष
अमित कुमार यादव
9454456968

सचिव
सुनील कुमार संगम

संयुक्त सचिव
विवेक श्रीवास्तव (लखनऊ जोन)
नवनीत कुमार त्रिपाठी (वाराणसी जोन)
कमलेन्द्र कुमार विमल (बरेली जोन)
नीतू वर्मा (आगरा जोन)

उपसचिव
सुशील पाण्डेय (लखनऊ जोन)
अमन प्रसाद अमन (वाराणसी जोन)
गजेन्द्र कुमार (बरेली जोन)
प्रशांत कुमार मिश्रा (आगरा जोन)

पत्रांक .... दिनांक 23.07.18

सेवा मे

मा. प्रमुख सचिव (गृह) महोदय
उ.प्र.शासन लखनऊ

विषयः <u>प्रदेश मे कानून व्यवस्था को गम्भीर रुप से प्रभावित करने वाले पाक्सो अधिनियम के अपराधों का शत/प्रतिशत अभियोजन लोक सेवा आयोग से चयनित अभियोजन संवर्ग के दक्ष एवं अनुभवी अभियोजन अधिकारियों से कराये जाने के सम्बन्ध मे -</u>

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि प्रदेश मे 1262 राजपत्रित अधिकारियों का अभियोजन संवर्ग व्यावसायिक दक्षता के साथ कार्यरत है।संवर्ग के सभी अभियोजक लोक सेवा आयोग से त्रिस्तरीय परीक्षोपरान्त न्यायिक अधिकारियों की भाँति चयनित किये जाते है।

उल्लेखनीय है कि उ.प्र. शासन द्वारा निर्गत शासनादेश शासनादेश संख्या 3029/छः-पु.-9-2001-31(23)/2000 दिनाँकित 07 दिसम्बर 2001 के द्वारा 7 वर्ष की सेवा के समस्त अभियोजन अधिकारियों को लोक अभियोजक घोषित करते हुये तैनाती के अपने अपने जिलों मे अपर सत्र न्यायालयों मे सत्र वादों के संचालन के लिये लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है। पाक्सो अधिनियम के अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति के अपराध होते है जो कानून व्यवस्था को सीधे प्रभावित करते है जिसके लिये संवर्ग के दक्ष अभियोजकों द्वारा अभियोजन कराया जाना जनहित मे है।पाक्सो अधिनियम के अभियोजन के बावत मा. केन्द्र सरकार का शासनादेश है कि पाक्सों अधिनियम से सम्बन्धित वादों का अभियोजन लोक सेवा आयोग से चयनित अभियोजन कैडर के अभियोजको से कराया जाय।जिसका अनुपालन भी देश के तमाम राज्यों मे किया जा रहा है परन्तु अभी उत्तर प्रदेश मे उक्त पाक्सो न्यायालयों का अभियोजन राज्य अभियोजन सेवा के अधिकारियों से नही कराया जा रहा है जबकि तुलनात्मक रुप से संवर्ग के अधिकारियों के द्वारा किये जा रहे अभियोगों मे सजा का प्रतिशत, संविदा पर नियुक्त होने वाले शासकीय अधिवक्ताओ के सजा के प्रतिशत से बहुत ही ज्यादा है। पाक्सो अधिनियम तो सीधे प्रदेश की बालिकाओ के शील व उनकी लज्जा के प्रति किये गये गम्भीर अपराधों से सम्बन्धित है जिसका निवारण मा.मुख्यमन्त्री महोदय की सर्वोच्च प्राथमिकता मे है।यह भी उल्लेखनीय है कि पाक्सों अधिनियम का अभियोजन सीधे कानून व्यवस्था व लोक व्यवस्था से जुडे हुये मामले है जिनका शत प्रतिशत अभियोजन

Scanned by CamScanner

राज्य अभियोजन अधिकारी सेवा संघ उ0प्र0

(उ0प्र0 शासन के शा0सं0 924/आठ–9–31/179/78 वि. 27.2.82 द्वारा मान्यता प्राप्त)

कमरा नं0 15, अभियोजन कार्यालय, कलेक्ट्रेट, लखनऊ

अध्यक्ष
अवधेश कुमार सिंह
9454456321

महासचिव
विजय कुमार
9454456462

उपाध्यक्ष
विक्रम यादव (लखनऊ जोन)
9454456349
विजय सिंह (वाराणसी जोन)
राकेश कुमार मौर्या (बरेली जोन)
अशोक कुमार त्रिपाठी (आगरा जोन)

कोषाध्यक्ष
अमित कुमार यादव
9454456968

सचिव
सुनील कुमार संगम

संयुक्त सचिव
विवेक श्रीवास्तव (लखनऊ जोन)
नवनीत कुमार त्रिपाठी (वाराणसी जोन)
कमलेन्द्र कुमार विमल (बरेली जोन)
नीतू वर्मा (आगरा जोन)

उपसचिव
सुशील पाण्डेय (लखनऊ जोन)
अमन प्रसाद अमन (वाराणसी जोन)
गजेन्द्र कुमार (बरेली जोन)
प्रशांत कुमार मिश्रा (आगरा जोन)

पत्रांक ..... दिनांक .....

संवर्ग के दक्ष अभियोजकों से कराये जाने से अपराधियों को शतप्रतिशत सजा करायी जा सकेगी तथा जिससे उक्त अपराध के अपराधियों मे अपराध करने से भय उत्पन्न होगा व समाज मे एक सकारात्मक सन्देश जायेगा और प्रदेश की कानून व्यवस्था को उत्तरोत्तर सुदृढ़ भी करेगा। यह निश्चित रुप से विधिपूर्ण एवं जनहित मे भी है कि उक्त अपराधों का अभियोजन लोक सेवा आयोग से चयनित संवर्ग के अनुभवी अभियोजको द्वारा किया जाय न कि अप्रशिक्षित संविदा के शासकीय अधिवक्ताओ द्वारा।इस सम्बन्ध मे मा. मुख्यमन्त्री महोदय से अनुरोध भी किया जा चुका है और उन्होने इस हेतु कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले पाक्सों के मामले का अभियोजन संवर्ग के दक्ष अभियोजको से कराये जाने का सकारात्मक आश्वासन भी दिया है।अभियोजन संवर्ग के अभियोजको के व्यावसायिक कौशल के अत्यधिक व जनहित मे उपयोग हेतु अभियोजन सेवा पूर्ण मनोयोग से तत्पर है।झारखन्ड राज्य,दिल्ली व मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पाक्सो अधिनियम के वादों का अभियोजन अभियोजन संवर्ग के अधिकारियों से कराने का नोटिफिकेशन सुलभ शन्दर्भ हेतु संलग्न है।

अतः मा. महोदय से विनम्र अनुरोध है कि पाक्सों अधिनियम के आपराधिक वादों का शत /प्रतिशत अभियोजन,अभियोजन संवर्ग के अभियोजन अधिकारियों से कराने हेतु उचित कार्यवाही करने की कृपा की जाय।जिससे अभियोजन संवर्ग अपनी अभियोजन क्षमता व दक्षता का अधिकाधिक उपयोग राज्य की सुदृढ़ कानून व्यवस्था को अनवरत सुदृढ़ बनाये रखने मे लगा सके।

सादर।

संलग्नकः-यथोपरि

भवदीय

(विजय कुमार)
महासचिव

Scanned by CamScanner